भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2670
जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

सरफेसी अधिनियम के माध्यम से एनपीए की वसूली

2670. श्री अरुण नेहरू:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से सरफेसी अधिनियम और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) जैसे तंत्रों के माध्यम से अशोध्य ऋणों या गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की वसूली का वर्षवार और बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने पुराने एनपीए को दूर करने और अपनी बैलेंस शीट में सुधार करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जो वित्तीय और नीतिगत सहायता प्रदान की है, उसक ब्यौरा क्या है;

(ग) छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को वित्तीय अनुशासन और ऋण प्रबंधन के बारे में जानकारी देने की पहल का ब्यौरा क्या है और बैंकों में एनपीए के निस्तारण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चत करने के लिए मौजूद तंत्र का ब्यौरा क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा ऋण मूल्यांकन प्रणालियों को मजबूत करने और नए एनपीए के मामले को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार भविष्य में बैंकों और नियामकों के बीच समन्वय में सुधार करने के लिए बड़े उधारकर्ताओं और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर नज़र रखने के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस की स्थापना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): विगत पांच वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) और ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) के माध्यम से गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की वसूली का वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह सूचित किया है कि इस संबंध में बैंक-वार सूचना का रखरखाव उनके द्वारा नहीं किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा शुरू की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के पश्चात, सरकार ने एनपीए को पारदर्शी रूप से पहचानने, स्पष्ट और प्रभावी कानूनों और प्रक्रियाओं के माध्यम से दबावग्रस्त खातों से वापसी योग्य राशि को पुनर्प्राप्त करने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण करने और बढ़ते एनपीए और बढ़ती ऋण चूक की समस्या को दूर करने के लिए बैंकों और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार की 4आर की रणनीति शुरूआत की। इन पहलों द्वारा समर्थित, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) का सकल एनपीए मार्च 2018 में 8.96 लाख करोड़

रुपए (सकल एनपीए अनुपात 14.58%) के शिखर से घटकर दिसंबर 2024 (अनंतिम आंकड़े) में 3.02 लाख करोड़ रुपए (सकल एनपीए अनुपात 2.85%) हो गया है।

साथ ही, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ऋण प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए पीएसबी सुधार कार्यसूची के अंतर्गत विगत कुछ वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें ऋण संवितरण में एक कुशल प्रणाली और बेहतर हामीदारी सहित व्यापक ऋण जीवनचक्र प्रबंधन प्रणाली शामिल है और इन कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं -

(i) समयबद्ध उपचारात्मक कार्रवाई के लिए बैंकों में प्रारंभिक चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) प्रणाली की शुरूआत;

(ii) नकदी प्रवाह की रिंग-फेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण नीतियों को अपनाना;

(iii) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल की निगरानी और निर्माण के लिए विशेष एजेंसियों का अभिनियोजन; और

(iv) जोखिम-आधारित मूल्य निर्धारण का बेहतर अनुपालन।

पूर्वोक्त से सक्षम होकर, पीएसबी का स्लिपेज अनुपात, अर्थात मानक अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में एनपीए की हाल में हुई घटना/वृद्धि, मार्च 2018 में 8.35% से घटकर दिसंबर 2024 (आरबीआई संबंधी अनंतिम आंकडे) में 0.95% हो गया।

छोटे व्यवसायियों और वित्तीय क्षेत्र के स्टार्टअप और ऋण प्रबंधन क्षेत्र को वित्तीय अनुशासन और ऋण प्रबंधक के बारे में शिक्षित करने के लिए की गई पहल के संबंध में वित्तीय क्षेत्र के विनियामाकों द्वारा संवर्धित राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक वित्तीय शिक्षा पुस्तिका विकसित की है। देश भर में वित्तीय साक्षरता केन्द्र (सीएफएल) और वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) भी स्थापित किए गए हैं। एफएलसी अन्य बातों के साथ-साथ किसानों, सूक्ष्म उद्यमियों और स्व-सहायता समूहों के लिए शिविर आयोजित करते हैं।

जहां तक बैंकों द्वारा एनपीए के समाधान में जवाबदेही में पारदर्शिता का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों के लिए यह अपेक्षित है कि वे अपने संबंधित बोर्डों द्वारा विधिवत अनुमोदित ऋण वसूली नीति लागू करें। बैंक उक्त नीति के अनुसार एनपीए की वसूली अथवा समाधान के लिए उपाय शुरू करते हैं।

(ङ): भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित बड़े ऋणों पर सूचना की केन्द्रीय रिपोजिटरी (सीआरआईएलसी) पहले से ही मौजूद है। सीआरआईएलसी उधारदाताओं को ऋण संबंधी डेटा को एकत्र, संग्रहीत और प्रसारित करता है। बैंकों को मासिक आधार पर उन सभी उधारकर्ताओं के बारे में सीआरआईएलसी को ऋण संबंधी सूचना प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिनके पास 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक का सकल निधि और गैर-निधि-आधारित एक्सपोजर है। सूचना अंतर को पाटने के लिए बड़े उधारकर्ताओं की सूचना सभी बैंकों के साथ साझा की जाती है जो उन्हें संसूचित ऋण निर्णय लेने में मदद करती है।

*****

अनुबंध

सरफेसी अधिनियम के माध्यम से एनपीए की वसूली के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2670

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) और सरफेसी अधिनियम चैनलों के माध्यम से वसूली

(राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	डीआरटी	सरफेसी अधिनियम
2018-19	10,847	38,905
2019-20	9,986	34,283
2020-21	8,113	27,686
2021-22	12,035	27,349
2022-23	39,785	30,957
2023-24	16,202	30,460

स्रोत: आरबीआई (2023-24 के लिए अनंतिम आकडे)

*****